प्रकरण संख्या 12/2024 लक्ष्मण व अन्य बनाम पूंजा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 91—क, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2019 को वादीगण का वाद पुनः अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 16.03.2020 को वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जिस पर वादीगण द्वारा दिनांक 12.07.2024 को आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुनः प्रकरण नंबर पर लिये जाने का निवेदन किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2024 को खारिज कर दिया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा दिनांक 12.08.2024 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलान्ट श्री प्रवीण शुक्ला की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि दिनांक 05.11.2019 को वादीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे, परन्तु इसके बाद कोविड—19 के कारण लॉकडाउन होने से अपीलान्टगण पेशी पर नहीं गये तथा पेशी की जानकारी अपीलान्ट/वादीगण को नहीं हो पायी, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2020 को वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। इसके बाद अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में कई चक्कर लगाये, परन्तु कभी पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होता, कभी पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यो या कैम्प में व्यस्त रहे। दिनांक 01.07.2024 को जानकारी होने पर आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.07.2024 निरस्त किया जावे। हमने बहस पर मनन किय[illegible] पत्रावली पर उपलब्ध	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:50:48 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 19.12.2018 को वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया, जिस पर वाद को पुनः नंबर पर लेने हेतु अपीलान्ट/वादीगण द्वारा दिनांक 30.01.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु वादीगण की अनुपस्थिति के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2019 को पुनः वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, जिसे पुनः नंबर पर लेने हेतु अपीलान्ट/वादीगण द्वारा दिनांक 28.05.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पुनः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2020 को वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, जिस पर वादीगण द्वारा दिनांक 12.07.2024 को आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुनः प्रकरण नंबर पर लिये जाने का निवेदन किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2024 को खारिज कर दिया गया।

यहां यह देखा जाना है कि वादीगण की अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त हेतुक था अथवा नहीं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर कारण यह पाया कि वादीगण बीमार होने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए एवं उनके अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से उपस्थित नहीं हो सके। यद्यपि प्रकरण तीन बार अदम हाजरी में खारिज हुआ है, जिसे दो बार रेस्टोर भी किया गया, किन्तु तीसरी बार में वादीगण के रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। चूंकि प्रकरण घोषणा का है, ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपीलान्ट/वादीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 02/2017 निर्णय दिनांक 26.07.2024 अपास्त किया जाता है पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रषित की जाती है कि वाद को पुनः नंबर पर लेकर पक्षकारों को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.08.2025 को उपस्थित रहे। निर्णय आज दिनांक 13.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:48 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:50:48 IST
Reason: SelfAttested